संख्या- 14/2017/1755/छत्तीस-2-2017/15(जी)/2016टी0सी0

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

श्रम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 अक्टूबर, 2017

विषय:- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या- 318/2006 नेशनल कैम्पेन कमेटी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2017 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूच्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित याचिका सं0- 318/2006 में कोषागारों में जमा श्रम उपकर की धनराशि को उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 02.08.2017 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं :-

"The State Governments have not transferred the amount to the concerned welfare boards. The transfer of the amount may be carried out immediately preferably with two weeks from today, failing which we will require an explanation from the chief secretary of the State".

2- शासनादेश संख्या- 37/1448/36-2-2015-170/2009, दिनांक 26.09.2016 द्वारा उपकर की धनराशि को उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा किये जाने के आदेश हैं। यह देखा जा रहा है कि सेस की धनराशि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के बैंक खाते के स्थान पर कतिपय विभागों/ नियोजकों द्वारा अभी भी कोषागारों के लेखाशीर्षक में निरन्तर जमा की जा रही है जिससे उसकी वापसी के संबंध में जटिल प्रक्रिया का पालन कराने एवं धनराशि वापस प्राप्त करने के लिये अनावश्यक कार्यवाही करनी पडती है। फलत: बोर्ड को पैसा देर से प्राप्त होता है और साथ ही साथ ब्याज की हानि होती है। ऐसा किया जाना मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के भी प्रतिकूल है।

3- इस संबंधमें मुझे कहने का निदेश हुआ है कि 'उपकर' की धनराशि को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के इस निमित्त् निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में ही जमा कराने का कष्ट करें। भविष्य में यदि इस आशय की सूचना प्राप्त होती है कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किसी विभाग/ नियोजन ने सेस की धनराशि कोषागार में जमा करायी है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की बाध्यता होगी।

भवदीय,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव

संख्या- 14/2017/1755(1)/छत्तीस-2-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित :-

1- श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2- सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जय शंकर तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।